web : www.nyaysakshi.com || पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल || पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक-सेहत-विज्ञान-फीचर

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN16931 || email :- nyaysakshi@gmail.com || रायगढ़, सोमवार 29 अक्टूबर 2018 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-34

महत्वपूर्ण एवं खास

पूर्व पेट्रोलियम मंत्री अर्जुन रणतुंगा के सिक्यॉरिटी गार्ड ने की गोलीबारी, एक की मौत, 2 घायल

कोलंबो (आरएनएस)। श्री लंका में जहां इस वक्त राजनीतिक संकट गहराया हुआ है, वहीं रविवार को एक हाई-प्रोफाइल हिंसक घटना भी सामने आई है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त करने के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना के फैसले के बाद पहली बार कोई बड़ी हिंसक हुई है। रविवार को पूर्व पेट्रोलियम मंत्री अर्जुन रणतुंगा के एक सुरक्षा गार्ड ने भीड़ पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। जिस समय गार्ड ने गोलियां चलाई, उस वक्त रणतुंगा अपने ऑफिस में घुस रहे थे। हालांकि, वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। घटना के बाद गार्ड को अरेस्ट कर लिया गया। अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि उसने किस मंशा से गोलीबारी की थी।

नक्सलियों द्वारा लगाए गए 4 आईडी बम को बीएसएफ की टीम ने किया बरामद

कांकेर (आरएनएस)। नक्सलियों ने बीएसएफ सर्चिंग पार्टी को विस्फोट कर उड़ाने के लिए नक्सलियों ने भुसकी गांव के पास 4 टिफिन बम बिजली टावर के पास लगा रखा था बीएसएफ की सर्चिंग टीम पहुंचते बारी बारी से दो बम को विस्फोट कर दिया किसी मोर्चा संभालते नक्सली भाग गये, जिसके बाद बीएसएफ की सर्चिंग पार्टी और बीडीएस टीम ने गहनता क्षेत्र का सर्चिंग किया तो दो और टिफिन बम मिला जिसे बीडीएस टीम विस्फ ोट कर दिया, इस दौरान किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है बीएसएफ और पुलिस के क्षेत्र सर्चिंग तेज कर दिये हैं।

करवा चौथ व्रत रखने से किया मना तो पति ने लगा ली फांसी

मथुरा (आरएनएस)। यूपी के मथुरा में बीमार पत्नी द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने से इनकार करने पर नाराज पति ने कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

आतंकियों ने की सीआईडी अधिकारी की हत्या

पुलवामा (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों ने फिर एक नापाक हरकत को अंजाम दिया है। आतंकियों ने रविवार शाम दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सीआईडी के एक अधिकारी इम्तियाज अहमद की गोली मारकर हत्या की है। वारदात के बाद पुलिस ने पुलवामा के वाहीबाग इलाके में इम्तियाज अहमद का शव और उनकी कार को बरामद किया है।

अभी से बेहद खराब हुई दिल्ली-एनसीआर की हवा

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिवाली अभी 9 दिन दूर है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर की हवा अभी से जहरीली हो गई है। हवा की क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। रविवार को दिल्ली का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 366 रहा, जो बहुत खराब की कैटिगरी में आता है। एनसीआर के शहरों में सबसे ज्यादा खराब हवा गाजियाबाद और गुड़गांव की रही। इन शहरों में एयर क्वॉलिटी बेहद खराब की कैटिगरी में रही। हवा में जहर का यह स्तर इस मौसम में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर रहा।

भाई के साथ टीवी रिमोट पर झगड़ा, बहन ने की खुदकुशी

नई दिल्ली (आरएनएस)। टीवी रिमोट को लेकर भाई-बहन के बीच छोटा-सा झगड़ा बहन की मौत का कारण बन गया। महज 12 साल की बहन को इतना गुस्सा आया कि अपने पैरेंट्स के बेडरूम में खुद को बंद कर वह पंखे से लटक गई।

भारतीय सीमा में घुसपैठ करते दो पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार

नई दिल्ली। भारतीय सीमा पर पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से पंजाब के फिरोजपुर में भारत की सीमा के भीतर अवैध रूप से प्रवेश करने के प्रयास में दो पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं और इनके पास से पाकिस्तानी आईडी कार्ड भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही इनके पास से पाकिस्तानी मुद्रा, दो मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किया गया है।

दोनों पाकिस्तानी नागरिक भारत की सीमा के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल रविवार को जब तेलू माल सीमा चौकी के जवान सामान्य गश्त कर रहे थे, इसी दौरान शाम को तकरीबन पांच बजे उनकी नजर इन दोनों पर पड़ी। जिसके बाद जवानों ने उन्हें ललकारा और उन्हें घेर लिया। दोनों ने भागने की कोशिश की लेकिन जवानों ने धर दबोचा।

इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जवानों ने इनकी तलाशी ली तो इस बात की पुष्टि हुई कि ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं।

जमीन पर मालिकाना हक किसका, जनवरी तक टली सुनवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। अयोध्या राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को कहा कि जनवरी में उपयुक्त पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। उन्होंने इस मामले पर तुरंत सुनवाई की पक्षकारों की मांग को खारिज कर दिया।

अयोध्या विवाद

सरकार की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि इस मामले की जनवरी में कब से सुनवाई शुरू होगी। इस पर पीठ ने कहा कि यह सब फैसला नई पीठ करेगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सुनवाई कब से होगी, रोजाना होगी या नहीं, इस पर नई पीठ ही फैसला लेगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की पीठ ने आदेश दिया था कि विवादित भूमि के मालिकाना हक वाले दीवानी मामले की सुनवाई तीन जजों की पीठ 29 अक्टूबर से करेगी। पीठ ने नमाज के लिए मस्जिद को इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं मानने वाले इस्माइल फारूकी मामले में 1994 के फैसले के अंश को पुनर्विचार के लिए सात जजों की पीठ को भेजने से इनकार कर दिया था।

जानें, कोर्ट में क्या-क्या हुआ

कोर्ट में चीफ रंजन गोगोई जस्टिस की पीठ में दोनों पक्षकारों ने दलील थी कि नंवबर में सुनवाई शुरू हो जाए लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को जनवरी के लिए पहले हफ्ते के लिए टाला जाता है। तभी यह तय होगा कि कौन सी पीठ मामले की सुनवाई करेगी और सुनवाई की तारीख क्या होगी। कोर्ट ने कहा कि पीठ जनवरी में तय करेगी कि सुनवाई जनवरी में हो कि फरवरी या मार्च में। जल्द सुनवाई की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी अपनी प्राथमिकता है, यह उचित पीठ तय करेगा कि सुनवाई कब से हो।

हिंदू पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कहा

हिंदू पक्षकार संत धर्मानंद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह सही नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, चुनाव को देख डेट नहीं बढ़नी चाहिए। यह प्रॉपर्टी का मामला है। अब हमें इंतजार ही करना होगा। हमें आंदोलन नहीं करना है। हम चाहते थे कि इस मामले में जल्द निर्णय हो। यह हिंदू-मुसलमान का केस नहीं है। कानून बनाने की बात करने वाले जनता को भ्रम में डालते हैं।

यूपी के डेप्युटी सीएम का टिप्पणी से इनकार

यूपी के डेप्युटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामला टलने पर किसी प्रकार की टिप्पणी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और मैं इसपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।

स्नाइपर अटैक पर सेना की जांच जारीः आर्मी चीफ

नई दिल्ली। कश्मीर घाटी में सुरक्षा एजेंसियों के लिए जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों का स्नाइपर हमले पर आर्मी चीफ बिपिन रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्नाइपर अटैक की आशंका से इनकार नहीं करते हुए कहा कि सेना की जांच इस पर जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा बलों पर हुए कथित स्नाइपर अटैक में अब तक कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है।

आर्मी चीफ ने कहा, जम्मू-कश्मीर में हमारे जवानों के साथ कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं। ये अटैक स्नाइपर्स ने किए हैं या नहीं, पिलहाल इस पर हमारी रिसर्च चल रही है। अभी तक हमने कोई स्नाइपर हथियार बरामद नहीं किया है। बता दें कि सेना कश्मीर में स्नाइपर अटैक के रूप में एक नई तरह की चुनौती का सामना कर रही है। मध्य सितंबर से लेकर अबतक 3 जवान स्नाइपर अटैक में शहीद हो चुके हैं।

क्या होता है स्नाइपर हमला

बता दें कि स्नाइपर हमला वह हमला होता है जब दूर से किसी गुप्त स्थान पर छिपकर कोई निशानेबाज बंदूकधारी अचानक टारगेट पर हमला करता है।

अधिकारियों के मुताबिक भविष्य में सुरक्षा बलों पर इस तरह के और हमलों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आतंकियों ने सेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए पिछले कुछ वक्त में इस तरह की रणनीति अपनाई है।

छिपकर करते हैं कायराना हमला

सभी स्नाइपर हमलों में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के परिसरों के नजदीक की किसी पहाड़ी में छिपकर तब निशाना बनाया, जब जवान अपने मोबाइल फोन पर परिजनों या दोस्तों से बातचीत में मशगूल थे।

इंडोनेशिया का प्लेन क्रैश, 188 यात्रियों के मारे जाने की आशंका

जकार्ता (आरएनएस)। इंडोनेशिया का लॉयन एयर विमान सोमवार को जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही क्रैश हो गया। विमान जेटी-610 जकार्ता से पंगकल पिनॉन्ग जा रहा था। राष्ट्रीय तलाशी एवं बचाव एजेंसी के प्रवक्ता यूसुफ लतीफ ने विमान क्रैश होने की पुष्टि की है। चैनल न्यूज एशिया के अनुसार लॉयन एयर बोइंग 737 यात्री विमान में क्रू मेंबर और यात्रियों को मिलाकर कुल 188 लोग सवार थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान ने जकार्ता एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। विमान सुमात्रा के पिंगकल पिनॉन्ग जा रहा था। टेक ऑफ के 13 मिनट बाद ही विमान का संपर्क टूट गया था। बताया जा रहा है कि संपर्क टूटने से पहले पायलट ने प्लेन की वापसी का सिग्नल दिया था। सर्च ऑपरेशन के अधिकारियों ने बताया कि जावा समुद्र तट के पास विमान के टुकड़े नजर आए हैं। इंडोनेशिया के आपदा प्रबंधन बोर्ड के प्रमुख सुतोपो पुरवो नुग्रोहो ने ट्वीट कर कहा, 'कारावांग के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए लॉयन एयर जेटी610 विमान के कई टुकड़े बरामद किए गए। बीबीसी के मुताबिक, लॉयन एयर विमान ने सुबह 6.20 बजे जकार्ता से उड़ान भरी थी और यह लगभग एक घंटे में पंगकल पिनांग पहुंचने वाला था लेकिन विमान का सुबह 6.33 बजे संपर्क टूट गया।

विमान में 188 लोग थे सवार

विमान में कुल 188 लोग सवार थे। इनमें 178 वयस्क, 1 बच्चा, 2 नवजात, 2 पायलट और 5 फ्लाइट अटेंडेंट शामिल हैं। यात्रियों के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इंडोनेशिया के प्रशासन के मुताबिक लॉयन एयर जेटी 610 से संपर्क टूट गया है और विमान के बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं है।

भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजकर 33 मिनट पर प्लेन ने उड़ान भरी थी। विमान का पता लगाने के लिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में प्लेन के क्रैश होने की खबर आई।

ट्रंप ने घृणा फैलाने का जिम्मेदार मीडिया को ठहराया

वॉशिंगटन (आरएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में घृणा का माहौल बनाने का जिम्मेदार मीडिया की 'फर्जी तथा गलत' रिपोर्टिंग को ठहराया और कहा कि इसके लिए उनका प्रशासन अथवा रिपब्लिकन पार्टी जिम्मेदार नहीं है। ट्रंप ने रविवार देर रात ट्वीट किया, ''हमारे देश में लंबे समय से चले आ रहे मतभेद और घृणा के लिए रिपब्लिकन, कंजर्वेटिव और मुझे जिम्मेदार ठहराने के लिए फर्जी खबरें हर कोशिश कर रही है।'' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, '' वास्तव में यह उनकी फर्जी और गलत रिपोर्टिंग है जो ऐसी समस्याएं पैदा कर रही है जिन्हें वह समझ ही नहीं सकते।'' गौरतलब है कि मुख्यधार के मीडिया का एक बड़ा वर्ग ट्रंप के बयानों को देश में विभाजन का माहौल बनाने का जिम्मेदार ठहरा रहा है।

देश के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में 8 यूपी से

कानपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित

लखनऊ (आरएनएस)। छुट्टी के दिन और सड़कों पर वाहनों की कम आवाजाही के बावजूद पूरा यूपी प्रदूषण के कारण हांफता रहा। देश के टॉप-10 सबसे प्रदूषित शहरों में 8 उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि कानपुर की हवा देश भर में सबसे जहरीली रही। सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक कानपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 पहुंच गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। कानपुर के अलावा बाकी प्रदेश के बाकी 7 शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या एनसीआर के हैं।

लखनऊ 323 एक्यूआई के साथ देश का 12वां सबसे प्रदूषित शहर रहा। हालांकि बीते दो दिनों के मुकाबले शहर की हवा का जहरीलापन कुछ कम हुआ लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में प्रदूषण के कारण हवा की क्वालिटी में और ज्यादा गिरावट दर्ज होने की आशंका है। एनबीआरआई एनविस सेंटर की को- कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बबिता कुमारी का कहना है कि वायु प्रदूषण के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं हैं।

हालांकि लखनऊ शहर में आस-पास ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है इसलिए यहां की हवा की क्वालिटी में गिरावट की वजह वाहनों से उड़ता जहरीला धुआं है। बकौल बबिता शहर में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सड़कों पर लगने वाले जाम में वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें वायुमंडल की सबसे निचली परत में जाकर जमा हो जाती हैं।

एक पैर से 3 किलोमीटर दौड़ रोका रेल हादसा

कृष्णा पुजारी का कमाल

उडुपी (आरएनएस)। 53 साल के कृष्णा पुजारी चलने में असमर्थ हैं। पिछले दिनों एक बीमारी के कारण उनका दायां पैर कमजोर हो गया है और वह ठीक से चल नहीं पाते। डॉक्टरों ने उन्हें रोज मॉर्निंग वॉक करने की सलाह दी है। शनिवार सुबह जब वह वॉक पर निकले तो उन्होंने देखा कि रेलवे की एक पटरी क्रैक है। वह खड़े सोच ही रहे थे कि क्या करें तभी एक ट्रेन तेज रफ्तार से वहां से गुजरी और पटरी और टूट गई। इसके बाद बिना देरी किए एक टांग पर कृष्णा ने दौड़ लगा दी।

एक टांग से करीब 3 किलोमीटर की दौड़ लगाकर पुजारी ने रेलवे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके कारण बड़ा हादसा टल गया।

सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

नयी दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए राज्य की पुलिस को और समय देने से इनकार कर दिया था। हिंसा मामले में नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ जांच रिपोर्ट दायर करने की खातिर पुलिस को और समय देने के निचली अदालत के आदेश को बंबई उच्च न्यायालय ने हाल में निरस्त कर दिया था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की अपील पर गौर करते

कोरेगांव-भीमा काण्ड

हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और याचिका पर नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले के सिलसिले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी की जांच के लिए एसआईटी गठित करने से भी इनकार कर दिया था। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत पुणे पुलिस ने कथित माओवादी संपर्कों के चलते अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग, नागपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक शोमा सेन, दलित कार्यकर्ता सुधीर धावले, कार्यकर्ता महेश राउत और केरल के निवासी रोना विल्सन को जून में गिरफ्तार किया था।

पिछले वर्ष 31 दिसंबर को पुणे में हुए एल्गार परिषद के सम्मेलन के सिलसिले में उनके आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे गए थे।